ANNEXURE - 3

482

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH ॐ L 56980

17 DEC 2007

ट्रस्ट डीड

हमकि श्रीमती ज्योत्सना रानी पत्नी श्री सुभाष चन्द निवासी ग्राम व डा० नौरोजपुर गूजर तहसील व जिला बागपत अध्यक्ष व श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री लखीचन्द निवासी ग्राम व डा० नौरोजपुर गुजर तहसील व जिला बागपत सचिव, जिन्हे आगे व्यवस्थापक कहा गया है व्यवस्थापकों की इच्छा समाज सेवा व शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने की है जिसके लिये व्यवस्थापको ने यह ट्रस्ट स्थापित करने का निश्चय किया है।

विदित हो कि व्यवस्थापना धनराशि अकंन 10,000/-रूपये के एक मात्र स्वामी व अधिकारी है तथा शिक्षा के लिये कार्य व अन्य कार्य जिनका विवरण आगे दिया गया है के लिये एक ट्रस्ट की स्थापना करना चाहते है और उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु व्यव्स्थापको ने उक्त धनराशि अकंन 10,000/-रूपये को इस उद्देश्यों की पूर्ति हेतु व्ययस्थापकों ने उक्त राशि अकंन 10,000/-रूपये को इस उद्देश्य से हस्तान्तिरत कर दी है कि न्यासीगण उक्त राशि को आगे दी गयी शक्तियों एवं प्रावधानों के अन्तंगत बतौर न्यासीगण होना स्वीकार होना स्वीकार किया है इस विलेख का निष्पादन कर रहे है अतः व्यवस्थापक उपरोक्त इकरार करते है और घोषणा करते है।

1. यहकि उक्त ट्रस्ट का नाम श्रीमती हरचन्दी देवी मैमोरियल एजुकेशनल ट्रस्ट, होगा।

2. यहकि उक्त ट्रस्ट का मुख्य कार्यालय सी-21 पल्लवपुरम् फेज 1 मेरठ होगा। परन्तु न्यासीगण को अधिकार होगा कि वे उक्त ट्रस्ट का कार्यालय कहीं पर भी सहमति से स्थानान्तरित कर सकते है।

Lalita
PRINCIPAL
J.S. ACADEMY
Pallav Puram, Meerut

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये **Rs. 100**

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

17 DEC 2007

L 556981

3. यहकि ट्रस्टीगण उक्त धनराशि उक्त ट्रस्ट की समस्त सम्पत्ति जिसे आगे ट्रस्ट फण्ड कहा गया है जिसका तात्पर्य ट्रस्ट की सम्पत्ति नकद राशि निवेश धन दान अथवा अनुदान से प्राप्त सम्पत्ति सावधि जमा अथवा चल-अचल जो उक्त ट्रस्टीगण को समय-समय पर प्राप्त हो, को धारण करेंगे तथा उक्त ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति को बतौर ट्रस्टीगण आगे दी गयी शक्तियों तथा कर्तव्यों को प्रयोग व अनुपालन करते हुऐ धारण करेंगे।

4. यहकि ट्रस्टीगण फण्ड तथा ट्रस्ट जिनकी पूंजी तथा अन्य चल व अचल सम्पत्तियों को शिक्षा संवर्धन के मुख्य कार्य तथा अन्य सामाजिक उत्थान के कार्य, औषधालय तथा शिक्षण संस्थाओं व कार्यशालाओं की स्थापना एवं संचालन व व्यवस्था यात्री सेवा से सुविधा आदि के काय्र करने हेतू धारण करेंगे तथा न्यासीगण को समय-समय पर आवश्यकतानुसार न्यास के उद्देश्यों में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार होगा।

5. यहकि - ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये न्यासीगण को समय-समय पर भूमि का ग्रहण अधिग्रहण सरकारी, गैरसरकारी संस्थाओं व्यक्तियों संस्थाओं या विभागों से करने का पूर्ण अधिकार होगा।

6. यहकि उपरोक्त उद्देश्यों के अतिरिक्त तथा उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ट्रस्टीगण ट्रस्ट के फण्ड तथा आय को तथा उसके समस्त या किसी भाग को नीचे दिये उद्देश्यों में से किसी एक या अनेक या समस्त और जितनी मात्रा में चाहे स्वांगीण रूप से प्रयोग कर सकते है।

1. मेडिकल कालिज, डेन्टल कालिज एवं स्थापना व संचालन करना।
2. इंजीनियरिंग कालिज की स्थापना व संचालन करना।

Jyotsna

Lalita

PRINCIPAL
... DEMY
... Meerut

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये **Rs. 100**

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH L 556982

17 DEC 2007

3. स्कूल, कालिज, तकनीकी व फार्मा शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व संचालन करना।
4. शिक्षा के प्रचार व प्रसार हेतु सभी प्रयास करना।
5. कृषि भूमि तथा अन्य जमीन जायदाद आदि खरीदना प्राप्त करना उनके क्रय-विक्रय करना हस्तान्तरण करना तथा कृषि भूमि पर कृषि कार्य कराना।
6. अनुसुचित जाति व अनुसूचित जनजाति तथा समाज के सभी वर्गों के जरूरतमंद छात्रों के लिये छात्रवृति सहायता आदि प्रदान करना।
7. अस्पताल, औषधालय, सनुसंधान शालाओं एवं रसायन-शालाओं का संचालन एवं स्थापना करना।
8. प्राकृतिक पर्यावरण को स्वच्छ बनाये रखने हेतु कार्य करना शहरों में पेड लगाना जिससे प्रदूषण कम हो खाली पडी भुमि पर वृक्षारोपड करना ताकि पर्यावरण स्वच्छ रहे और आय के साधन बढे और अवैध कब्जे भी न हो पायें।
9. निरीह प्राणियों पशु एवं पक्षियों की चिकित्सा का प्रवन्ध करना एवं उनके लिये चिकित्सालयों की स्थापना व व्यवस्था करना।
10. स्कूल व कालिज में छात्र/छात्राओं को पर्यावरण के लिये जागृत करने हेतु कार्यक्रम चलाना।
11. शैक्षिक किताबों, पेपर का प्रकाशन कराना, लाईब्रेरी रीडिंग रूम तथा होस्टल आदि की स्थापना एवं संचालन करना।
12. समस्त मानव मात्र के कल्याण के लिये कार्य करना।

Lalita
PRINCIPAL
J.S. ACADEMY
Pallav Puram, Meerut

विक्रय की संविदा में परिवर्तन करने अथवा विखण्डित करने का अधिकार होगा और ट्रस्टीगण उसमें हुई किसी हानि के जिम्मेदार नही होंगे।

28. यहकि अध्यक्ष एवं सचिव को ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिये समय-समय पर उधार/ऋण लेने का पूर्ण अधिकार होगा। अध्यक्ष एवं सचिव को ट्रस्ट की सम्पत्तियों को बंधक रख कर ट्रस्ट के उद्श्यों के लिये उधार/ऋण/बैंक गारन्टी लेने का पूर्ण अधिकार होगा तथा कार्यों को रकने का अधिकार अध्यक्ष व सचिव को होगा।

29. यहकि अध्यक्ष एवं सचिव को ट्रस्ट के उद्देश्यो के लिये ट्रस्ट की सम्पत्तियों/परिस्थितियों को किराये पर देने व सभी प्रकार के शेयरों ऋण पत्रो व अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करने का पूर्ण अधिकार होगा।

30. यहकि एतदद्वारा संस्थापित किया गया ट्रस्ट अप्रतिसंहरणीय होगा परन्तु यदि किसी कारणवश से ट्रस्टीगण उक्त ट्रस्ट का संचालन करनके में असमंथ हो तो ट्रस्ट की सभी सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों को निस्तारण कर ट्रस्ट की सभी देनदारियों का भुगतान करने के पश्चात् ट्रस्ट का विघटन कर सकते है तथा इसके पश्चात् जो भी लाभ या हानि होगी व ट्रस्टीगण द्वारा वहन किया जायेगा। अतः यह विलेख न्यास् पत्र लिख दिया कि प्रमाणित एवं उपयोगी हो। इति।।

S/o Prem Chand

तहरीर तारीखः–19-12-2007ई0मसविदापवन कुमार गर्ग, दस्तावेज लेखक,मेरठ।

पवन कुमार गर्ग

PRINCIPAL
J.S. ACADEMY
Pallav Puram, Meerut

आज दिनांक 19/12/2007 को
बही सं 4 जिल्द सं 204
पृष्ठ सं 119 से 136 पर क्रमांक 482
रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

देशराज सिंह
उप निबन्धक चतुर्थ
मेरठ सदर
19/12/2007

सत्यमेव जयते

Lalita
PRINCIPAL
J.S. ACADEMY
Pallav Puram, Meerut